प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों की पैरवी

क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला

20–22 मई, 2013

द्विसंतान मानक तथा स्त्री विरोधी जनसंख्या नीतियों के ख़िलाफ़ गठबंधन,
सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस (सीएचएसजे), कॉमनहेल्थ, ह्यूमनराइट्स लॉ नेटवर्क
की
संयुक्त पहल

यह कार्यशाला क्यों ?

अब से लगभग 20 वष पहले जनसंख्या और विकास पर हुए अन्तर्राण्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी, कायरो 1994) तथा चौथे विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग,1995) में प्रजनन अधिकारों के पक्ष के मद्देनज़र जनसंख्या नियंत्रण के तर्क को खारिज कर दिया गया था। भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने अपनी जनसंख्या नीति को सबसे पहले बदलने की मिसाल विश्व के सामने रखी और 1996 में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण तथा 1997 में प्रजनन स्वास्थ्य के प्रस्ताव को अपनाते हुए गुणवत्तापूण स्वास्थ्य सेवाओं व सूचना देने व स्वतंत्र चयन की परिपाटी को विकसित करने की शपथ ली।

यह दुर्भाग्यपूण है कि भारत में लगातार आज भी स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों को जनसंख्या नियंत्रण/स्थिरीकरण से जोड़कर देखा जाता है, जबकि गत 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या वद्धि दर सबसे कम है तथा अधिकांश युवा दंपत्तियों के तीन या कम संतानें हैं। ऐसा लगता है कि फोकस महिलाओं व परिवार के बेहतर स्वास्थ्य से हटकर केवल 'हम दो हमारे दो' पर केन्द्रित हो गया है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत ने निम्नतम राण्ट्रीय टीएफआर तक पहुंच गया है तथा अनेक राज्यों ने रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी *(TFR 2.1)*, की दर को प्राप्त कर लिया है लेकिन अब भी नई व प्रस्तावित योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी मातत्व सहयोग योजना व खाद्य सुरक्षा बिल में लगातार उन महिलाओं (व बच्चों) को हटाया जा रहा है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। समावेशो वद्धि की बयानबाजी करने वालों में यह वास्तव में भेदभावपूण है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ चुका है कि प्राथमिकता तो दरअसल केवल गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को ही प्रतिबंधित करना है और ये विशष रूप से समाज के वे समूह हैं जिमनें मातत्व शिश मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि इन सामाजिक समूहों में 5 वष तक अथवा 5 वष से कम शिशओं की मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है।

नीतिगत विषमताओं के साथ ही विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हाल में ही पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन शिविरों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान की कमी व लापरवाही के अनेक केस रिपोर्ट हुए हैं। यह पाया गया है कि स्कूलों की इमारतों में होने वाले ऑपरेशन में गुणवत्ता के मानकों का लगातार उल्लंघन किया गया है व गर्भवती महिलाओं व पुरूषों के नसबंदी ऑपरेशन के बजाय परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज किया गया।

प्रजनन अधिकारों से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे, जैसे– उच्च मात मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। वाषिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ें बताते हैं कि देश के कुछ क्षेत्रों में मात मृत्यु दर 400 से भी ज्यादा है और जेएसवाई व जेएसएसके जैसे मानको की तथाकथित सफलता के बाद भी, अब भी घरों में होने वाले प्रसवों की दर बहुत अधिक है। लिंग चयन परंपराओं से जुड़े प्रतिबंधों के कारण सुरक्षित गर्भपात की सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच नहीं है, जबकि लगातार असुरक्षित गर्भपात मात मृत्यु के बोझ को और बढ़ाता है व प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।

वर्तमान में जब अनेक गठबंधन व नेटवर्क भारत में प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों की समसामयिक चुनौतियों का लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, सभी संबंधित पक्षों व लोगों, जो महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों पर काम कर रहे हैं, कि वे इस जटिल मुद्दे (असुरक्षित व पीड़ादायक नसबंदी, सूचनाओं व गर्भनिरोधकों के चयन पर समझ का अभाव, गुणवत्तापूण सेवाओं की उपलब्धता का अभाव, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं का अभाव) पर अपनी समझ को और पैना करें तथा प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दे को संबोधित करने के लिए रणनीतियां बनाएं।

यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी पैरवी में फिर से इस बात पर जार दें कि कमज़ोर व हाशिए के लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य की सभी सेवाएं उपलब्ध हों तथा इसके लिए सरकार की जवाबदेही हो। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभवतः राज्य व राष्ट्र स्तर पर सहभागिता व गठबंधन में काम करने की जरूरत हो सकती है।

कार्यशाला के उद्देश्य :

- मानवाधिकारों के समग्र ढांचे के अनुसार यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों की पैरवी करने के मुद्दे पर सभी प्रतिभागियों में एक आम समझ विकसित करना।

- वर्तमान परिदृश्य में प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों के नीतियों, प्रमाणों व चर्चाओं से जुड़े राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों के बारे में एक साझी समझ विकसित करना।
- पैरवी से जुड़ी अवधारशाओं व कौशलों की स्पष्ट समझ विकसित करना।
- पैरवी की योजनाओं को विकसित करने में पैरवी की उपरोक्त अवधारणाओं को सुगम करना।

मुख्य अपेक्षित परिणामः

- प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों पर सरकार की जवाबदेही के लिए सफल पैरवी पर प्रतिभागियों की जानकारी व कौशल को बढ़ाना।
- राज्य व राण्ट्रीय स्तर पर भविष्य में पैरवी के लिए व्यावहारिक योजनाएं बनाना।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु :

सुगमकर्ता शिक्षण के लिए कक्षा निर्देशों, समूह कार्य, केस स्टडीज, अभिनय अथवा रोल प्ले, अभ्यास व फिल्म आदि उपकरशों का प्रयोग करेंगे।

- अधिकार क्या हैं व मानवाधिकारों का परिचय
- यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की अवधारणा
- यौन व प्रजनन स्वास्थ्य की समसामयिक चुनौतियां, जैसे – मात स्वास्थ्य, पोषण, गर्भपात, जनसंख्या और विकास : भ्रांति व तथ्य।
- पैरवी की अवधारणा।
- अधिकार आधारित पैरवी की समझ
- पैरवी के लिए आवश्यक कौशल व रणनीतियां
- सैद्धान्तिक जानकारी व अभ्यास के साथ कार्यकर्ताओं व पैरोकारों के अनुभवों का आदान प्रदान।

स्थान : यूएसओ हाउस, यूएसओ रोड, जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110067

किनके लिए कार्यशाला :

यह कार्यशाला सिविल सोसायटी समूह के सदस्यों के लिए है, जो स्वास्थ्य और/अथवा महिलाओं और/अथवा दलित मुद्दों पर काम कर रहे हैं अथवा काम करने की योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारों की पैरवी, महिला मुद्दों, दलित अधिकार अथवा अन्य सामाजिक न्याय के आंदोलनों से जुड़ी संस्थाओं व नेटवर्क के प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिभागियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा को सहजता से समझ सकने की योग्यता होनी चाहिए।

कार्यशाला का सभी व्यय (यात्रा, रहना खाना) आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा। प्रतिभागियों को यात्रा के लिए ट्रेन–एसी 3 का किराया मान्य है। आवास हेतु दो प्रतिभागियों के एक साथ रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। सूचित हो कि कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा व्यय केवल सीमित संख्या में लोगों के लिए उपलब्ध है, अतः कपया इस बात के लिए शोघ्र ही सूचित करें कि आपको यात्रा व्यय में सहयोग की आवश्यकता है अथवा नहीं। इच्छुक प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने आवेदन पत्र 25 अप्रैल, 2013 तक आयोजकों को भेज दें।

सुगमकर्ताओं की सूची :

मुख्य प्रशिक्षकः

1. डॉ अभिजीत दास, निदेशक, सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस
2. सुश्री रेनु खन्ना, सहज, सोसायटी फॉर हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स, बड़ौदा
3. सुश्री सरिता बरपांडा, कार्यक्रम निदेशक, सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस

अतिथि वक्ताः

1. श्री ए. आर. नन्दा, (भूतपूर्व यूनियन स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार तथा भूतपूर्व एक्जक्यूटिव डॉयरेक्टर, पॉपुलेशन फाउन्डेशन ऑफ इंडिया)
2. सुश्री जशोधरा दास गुप्ता, संयोजक, एन ए एम एच एच आर व समन्वयक, सहयोग
3. सुश्री अनुभा रस्तोगी (ह्यूमन राइट्स एडवोकेट) तथा अन्य।

समन्वयक

लीना उप्पल
फोनः +91–8010655577
ईमेल : leena@chsj.org